

अति अल्पकालीन नीलामी सूचना

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अर्न्तगत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमांड क्षेत्र की नहरों- हरिपुरा फीडर एवं पाहा फीडर निर्माणाधीन है, के पुनर्निर्माण के दौरान निकलने वाली उत्खनित सामग्री (Excavated / Backfilling Material) की फेज-1 एवं 2 की नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से आवेदन दिनांक 30.04.2025 की अपराह्न 2.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी संबंधी बोलियां उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे से बोलीदाताओं द्वारा नीलामी समिति के समक्ष रखी जाएंगी। कार्य से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०.	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा (लगभग, घन मीटर में)	दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि	नीलामी दस्तावेज का शुल्क 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित (रु० में)	जमानत धनराशि (रु० में)
1	जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अर्न्तगत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कमांड क्षेत्र की नहरों- हरिपुरा फीडर एवं पाहा फीडर के पुनर्निर्माण के दौरान निकलने वाली उत्खनित सामग्री (Excavated / Backfilling Material) की फेज-1 एवं 2 की नीलामी।	5,000 घन मीटर (90,000 कुंतल)	30.04.25 अपराह्न 2.30 बजे तक।	30.04.25 अपराह्न 3.00 बजे से।	1770 / -	76,500 / -

नीलामी से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व वैबसाईट (www.jamranidam.com) पर देखी जा सकती हैं।

 23.4.25
परियोजना प्रबन्धक (ए-2)

1. नीलामी प्रक्रिया नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नीलामी समिति द्वारा निष्पादित की जाएगी।
2. नीलामी में वही व्यक्ति/फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जिनके द्वारा नीलामी दस्तावेज प्राप्त कर उसको निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में (जमानत धनराशि के साथ) जमा कर दिया है। जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी FDR के रूप में देय होगी जो महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से बंधक होगी।
3. नीलामी दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय समय में नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. नीलामी दस्तावेज का शुल्क रु0 1770/- डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में (दो डिमान्ड ड्राफ्ट रु0 1500/- एवं रु0 270/-) महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से देय होगा।
5. उपरोक्त सामग्री की नीलामी "जैसा है वैसी स्थिति" में नीलाम किया जाना है।
6. नहर को तोड़ने से निकलने वाले पत्थर को नहर के पुनर्निर्माण में उपयोग किया जाना है वह इस Excavated / Backfilling Material का हिस्सा नहीं है।
7. सामग्री की आरक्षित दर (मूल्य)- "खान विभाग द्वारा जारी की गई आर0बी0एम0 की रॉयल्टी दर" इस नीलामी की आरक्षित दर/मूल्य है।
8. आरक्षित दर से ऊपर सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा।
9. सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली का मूल्य एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाना होगा।
10. सम्बन्धित रॉयल्टी की धनराशि बोलीदाता द्वारा सीधे खान विभाग को जमा कराकर/ नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कराकर इस सामग्री को उठाया जाएगा।
11. नीलामी दर/मूल्य से रॉयल्टी दर/मूल्य को घटाते हुए शेष धनराशि इस कार्यालय में जमा की जानी है (महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में)
12. सफल बोलीदाता द्वारा जी0एस0टी0 दरें 18 प्रतिशत अतिरिक्त देय होंगी।
13. समस्त धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त ही सफल बोलीदाता के नाम नीलामी आदेश निर्गत होगा।
14. जिस व्यक्ति/ फर्म के नाम पर नीलामी जारी होगी उसकी जमानत धनराशि सामग्री उठाने के 1 सप्ताह के पश्चात वापस की जाएगी व शेष व्यक्ति/ फर्म की जमानत धनराशि नीलामी दिवस के तीन दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
15. नीलामी के दिवस पर अवकाश होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर की जाएगी।
16. नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व समस्त इच्छुक व्यक्ति/ फर्म कार्यस्थल का दौरा अवश्य कर लें।
17. सशर्त नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. नीलामी के पश्चात सम्बन्धित व्यक्ति को 45 दिवस के भीतर सामग्री उठाना आवश्यक है।
19. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताये इस नीलामी को प्रत्येक स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
20. भविष्य में उत्खनित सामग्री (Excavated / Backfilling Material) की नीलामी सम्बन्धी सभी जानकारीयां वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
21. अधिक जानकारी हेतु इस कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

 23.4.25
परियोजना प्रबन्धक (ए-2)